

Dated: 18th Dec. 1995

Dear brother, Shri Moharirji,

NAMASKAR

I regret my absence in Calcutta CDC and request to excuse for the same. The reason behind it was that a couple of days prior to CDC meeting my daughter-in-law suffered serious head injury in an accident, resulting in her hospitalisation for about a week's time. With God's grace, now she is out of danger and improving day by day.

UNIT REPORTING

Kanpur unit is active as usual. On joining of the new Chief General Manager, Shri D.P. Sarma, our delegation had a courtesy call on him. Dialogues were held in a very cordial atmosphere.

Shri K.K. Madgil, the then PCGM visited Kanpur office and a delegation of ours met with him also and pointed out the All-India as well as the local problems to him.

Monthly subscription has been collected from the members up-to-date and efforts are being made to collect the All-India levy.

Condolences: The last 3 months have been unfortunate for our organisation as 3 of our active members left us for their heavenly abode. S/Shri Umesh Mehta and Sunil Verma died in a road accident and Shri R.P. Nishad succumbed to a serious heart attack.

Justice Zindabad: The current month i.e. December 1995 awarded a glorious victory to our Organisation on the legal front when Central Govt. Industrial Tribunal, Kanpur declared the Bank's action with regard to the dismissal of our member, Shri Rameshwar Mali, Clerk Gr.I as illegal and directed the bank to pay the back wages and Rs.100/- as the cost of the plaint. To give a glimpse of the case, the bank had terminated the services of the workman on the plea that the employee had obtained service in RBI as a Scheduled Caste candidate by submitting a false certificate to this effect, and on the date of termination itself, reappointed him on compassionate ground, thus inflicting on him heavy monetary and seniority loss. We raised the Industrial Dispute. The matter was referred to the Tribunal where we argued that the workman never submitted any fraudulent document and also did not hide his caste-status overtly or covertly. Bank had sufficient time of 13-14 years to verify it but it did not try. Hon'ble Justice accepted our arguments and awarded in our favour.

Rest in the next despatch.

With kind regards,

brotherly yours

(SURINDRA NATH SHUKLA)

पत्रिका संख्या 16/95

दिनांक 16 नवम्बर 1995

प्रिय भाइयों एवं बहनो,



आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा
 रिज़र्व बैंक प्रबंधन पर बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज

आप सभी को स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मियों के वेतन में मान्यताप्राप्त एसोसिएशन के सशक्त विरोध के धातुद आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने माननीय विधे ट्रिब्युनल के समक्ष अपने तार्किक बल पर सी. सी. ए. का मद जुड़वाने में सफलता प्राप्त की। हाल ही में सम्पन्न वेतन समझौते के पूर्व भी औद्योगिक विवाद माननीय खत्री ट्रिब्युनल के सम्मुख गया। ट्रिब्युनल ने अपने ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा रिज़र्व बैंक प्रबंधन के विरुद्ध टिप्पणी की कि रिज़र्व बैंक कर्मियों की वेतनवृद्धि एवं सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी माँगपत्र पर रिज़र्व बैंक प्रबंधन द्वारा आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को वार्ता हेतु आमंत्रित न करना अन्यायपूर्ण है। एक आदर्श सेवायोजक तथा प्रमुख नीति निर्धारक संस्था होने के नाते रिज़र्व बैंक प्रबंधन ने खत्री ट्रिब्युनल के निर्णय का सम्मान करने के बजाय एक छुटे हुए मुकदमेवाज की तरह ट्रिब्युनल आदेश के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में अपील करना उचित समझा।

उक्त अपील पर बम्बई उच्च न्यायालय ने भी अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा रिज़र्व बैंक प्रबंधन को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वह आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा रिज़र्व बैंक कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी तथा सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी माँगपत्र पर विचार करे। इस निर्णय से सम्पूर्ण देश के रिज़र्व बैंक कर्मियों में एक आशा की किरण पैल गई कि सी. सी. ए. की तरह ही आर्गनाइजेशन "कुछ और" दिलाने में सफल होगा।

मित्रों, हमें खेद है कि अपनी "कूप मंडूपी" प्रवृत्ति के कारण रिज़र्व बैंक प्रबंधन ने आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत माँगपत्र पर बिना विचार किए तथा बम्बई उच्च न्यायालय की भावनाओं का सम्मान किए बिना ही एसोसिएशन से एक "अधकचरा" समझौता कर लिया जिसके द्वारा प्रहद कंप्यूटरीकरण का मार्ग तो प्रशस्त है परन्तु नई शर्तों तथा वर्तमान कर्मियों के पदोन्नति के पथ का मार्ग अलस कर दिया गया है, जिसके कारण रिज़र्व बैंक के पुराने कर्मचारी कुंठित हैं तथा कर्मचारियों में रोष है।

रिज़र्व बैंक प्रबंधन तथा एसोसिएशन के मध्य समझौता सम्पन्न होने के पूर्व ही आर्गनाइजेशन ने एक नोटिस द्वारा आगाह किया था कि हमारे माँगपत्र पर बिना विचार किए ही वेतन समझौते पर एसोसिएशन के साथ श्रम हस्ताक्षर करना बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना होगा परन्तु प्रबंधन के साथ हमारी नोटिस को नज़रअन्दाज़ किया और वेतन समझौते पर एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर कर दिया। मज़दूर होकर आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना सम्बंधी मुकदमा ठोकना पड़ा। माननीय न्यायालय द्वारा सम्भवतः प्रबंधन को नोटिस भेजी जा चुकी है। आगे की जानकारी ह्या आपको समय-समय पर देते रहेंगे। आप अपने सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए आर्गनाइजेशन के साथ तटस्थता की भाँति खड़े रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है।

• पेंशन विकल्प सुना है

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की माँग पर बैंक द्वारा पेंशन विकल्प पुनः माँगा गया है सभी साथियों से अपील है कि वे अपने विवेक का स्वतः प्रयोग करते हुए पेंशन विकल्प के प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेकर उचित कदम उठावें।

शुभ कामनाओं सहित,

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन - जिन्दाबाद
 एन.ओ. बी. डब्लू. - जिन्दाबाद
 भारतीय मजदूर संघ - जिन्दाबाद

आपका अपना ही,
 सुरेन्द्र नाथ शुक्ल
 § सुरेन्द्र नाथ शुक्ल §
 महासूत्री

देश के हित में करेंगे काम - काम के लेगे पूरे दाय

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

परिपत्र संख्या 15/95

दिनांक : 3 अक्टूबर 1995

प्रिय साथियों,

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक का कानपुर आगमन

दिनांक 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 1995 को बैंक के फेडरल कार्यालय से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक श्री अ.के. मुद्गिल का त्रिदिवसीय कानपुरी दौरा हुआ जिनके सम्मुख आर्गनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट ने जिन मुद्दों को उठाया तथा आपन दिया उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

1. छत्री ट्रिब्यूनल तथा जंबई उच्च न्यायालय के निर्णयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन को मान्यता मिले।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में समयसमय पदोन्नति नीति लागू करके यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने सेवाकाल में 2 पदोन्नतियाँ अवश्य मिलें।
3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदनाम में सम्मानजनक परिवर्तन हो।
4. लंबे अवकाश/ट्रेनिंग पर जाने वाले महाप्रबंधक के स्थान पर जनरल मैनेजर्स के पैनल से पदोन्नति देकर नियुक्त हो तथा पैनल समाप्त होने पर कैश विभाग की भांति जनरल साइड में भी परिकल्पना से तिन-पतिसीस आधार पर पदोन्नति देकर नियुक्त की जाए।
5. लंबे अवकाश/ट्रेनिंग में जाने वाले तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थान को रिक्त न रखकर तुरंत अन्य कर्मचारी को उस स्थान पर पोस्टिंग हो जाए ताकि बैंक कार्य में बाधा न पड़े साथ ही अवकाश से वापस आने पर उस कर्मचारी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
6. उत्तर प्रदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालय छोले जाएं अथवा क्षेत्रीय आधार पर बड़ी थेटों में नियंत्रण कार्यालय छोड़कर रिज़र्व बैंक के अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए जाएं।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी जिनकी सेवाएं 5 वर्ष हो चुकी हों, उन्हें बिना परीक्षा पास किए स्थायी किया जाए।
8. यातायात भत्ता-आयकर से मुक्त:

प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड ने अपने नोटीफिकेशन दिनांक 7 जुलाई 1995 द्वारा यातायात भत्ता \S Conveyance A1 \S को आयकर से मुक्त कर दिया है और यह छूट जुलाई 1995 से लागू की गई है, अतः स्रोत पर आयकर काटते समय यातायात भत्ता को कर मुक्त करने की व्यवस्था की जाए।

श्री मुद्गिल ने हमारे मुद्दों को ध्यान से सुना। हमें आशा है कि बैंक का एक सकारात्मक होगा।

शुभकामनाओं सहित।

कर्मचारी एकता
आ. झ. रि. व. व. आ.
एन. ओ. बी. डब्ल्यू.

विन्दा चौरा

आपका आभार है।

शुभ्र नाथ मुन्डू
महापंजी



ALL INDIA RESERVE BANK WORKERS' ORGANISATION

CENTRAL OFFICE - NAGPUR

(AFFILIATED TO BIHARATIYA MAZDOOR SANGH & NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS)

President: SHRI. D. S. P. U. T. K. A. Y. A.
General Secretary: SHRI. N. M. B. A. K. I. N.

37/190, माल रोड, Correspondence No./Address
कानपुर-208001 XXXX MOHARIA XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

उप महामंत्री - सुरेन्द्र नाथ शुक्ल

Date 25 सितंबर 1995

Ref. No. _____

माननीय श्री अटल जी,

सादर चरण स्पर्श।


पत्रांक D.O. No.

माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा आपको सम्बोधित 12/23/95- अर् दिनांक 19.8.95 के संदर्भ में विनम्रतापूर्वक सूचित करना है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा आपको श्रामक सूचना दी गई है। संदर्भित पत्र के अन्तिम वाक्य में लिखा है, "Reserve Bank of India would consider the Charter of Demands in accordance with the judgement." जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 23.6.95 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही आल इंडिया रिज़र्व बैंक इम्प्लाइज़ एसोसिएशन के साथ वेतन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हमारे माँग-पत्र पर न तो आज तक एग्री वार्ता हेतु बुलाया है और न ही कोई लिखित टिप्पणी ही माँगी गई है। इस प्रकार लिखित अथवा मौखिक टिप्पणी हमारे संगठन से बिना माँगे तथा बिना वार्ता हेतु आमंत्रण दिए हमारे माँग-पत्र पर विचार करना बैंक प्रबंधन के लिए असम्भव है। अतः रिज़र्व बैंक ने हमारे माँग-पत्र पर विचार न करके बम्बई उच्च न्यायालय की अवमानना की है। मार्क्सवादी प्रभुत्व वाली यूनियन, इम्प्लाइज़ एसोसिएशन से समझौता हो जाने तथा नवीन वेतनमान लागू हो जाने के उपरान्त भी माननीय वित्त मंत्री द्वारा आपको यह सूचित करना कि रिज़र्व बैंक हमारे माँग-पत्र पर विचार करेगा, श्रम की स्थिति पैदा करने वाला ही लगता है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर चूक के लिए आप वित्त मंत्री जी से सम्पर्क करके स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें तथा उनसे आग्रह करें कि वे अपने पत्र के आधार पर रिज़र्व बैंक प्रबंधन को यह निर्देश दें कि वह आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन को मान्यता प्रदान करके माँग-पत्र पर वार्ता हेतु अविलम्ब आमंत्रित करे ताकि हम 23.6.95 को हस्ताक्षरित समझौते में समुचित सुधार करा सकें।

सम्मान राहित,

आपका अपना ही,


§ सुरेन्द्र नाथ शrivastava §
उप महामंत्री

सेवा में,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी,
नेता प्रतिपक्ष, लोक सभा,
नई दिल्ली

रिजर्व बैंक वर्ल्ड आर्गनाइजेशन, कानपुर
(एन.ओ.बी.डब्ल्यू. एवम् बी.एम्.एस. से सम्बद्ध)

परिपत्र संख्या 13/95

दिनांक - 22 सितम्बर 1995

प्रिय भाइयों एवम् बहनों,

- रिजर्व बैंक गेट पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी "धरना"
- आज घोषित मेजबानता में तथा

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. की अन्तर्गत कार्य सम्पत्ति के पदाधिपतियों को केन्द्र कानपुर में रात 10 एवम् 11 सितम्बर 1995 को सम्पन्न हुई जिसमें 22 अगस्त 1995 को "योग दिवस" सफलतापूर्वक मनाने पर बैंक कर्मियों को बधाई दी गई और यह निर्णय भी लिया गया कि 22 सितम्बर 1995 को विशेष दिवस मनाया जाय। "एक दिवसीय धरना" निम्न योगों को और ध्यानाकर्षित करने हेतु दिया जाय :-

1. एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के विपक्षीय सम्पत्तिगत घातों के अधिकार को खतम किया जाय।
2. कर्मचारियों को सहेगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति 100 प्रतिशत की दर से हो।
3. सभी कर्मचारियों को वापस दिया जाय।
4. द्वितीय विपक्षीय सम्पत्तिगत 1970 के काल में कुल मकित के अनुसार वेतन को बढ़ावा हो।
5. भर्ती पर सभी को हटाई जाय तथा अन्त्याधुन्य कम्प्यूटरीकरण को रोज जाय।
6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापारिककरण द्वारा दिए गए एवम् के अनुसार तथा ठेके सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो तत्काल लागू किया जाय।
7. आज कृषिगत रिजर्व बैंक वर्ल्ड आर्गनाइजेशन को सम्बन्धि उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार मान्यता प्रदान हो जाय।

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के उक्त निर्णयों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बैंक वर्ल्ड आर्गनाइजेशन के आग्रहान पर आज भारतीय रिजर्व बैंक गेट पर एक दिवसीय "धरना" का कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही साथ मेजबानता में एक सप्ताह के भी अतिरिक्त विशेष तौर पर कर्मचारियों को खानपान सामग्री के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक प्रधान कार्यालय के कर्मियों तथा न्यायालय के निर्णयों को ध्यानपूर्वक उद्घाते सम्बन्धी जानकारी भी दी जायेगी। आज सभी से विनम्र अपील है कि "धरना" कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ-साथ मेजबानता में होने वाला समय भी को सफल करायें।

संग्रामी न्यायालय आदित्य।

आपका सहयोगी/सहयोगी,

(सुरेन्द्र नाथ गुप्ता)
महामंत्री

कर्मचारी संघ	चिन्दाबाद
एन.ओ.बी.डब्ल्यू.	चिन्दाबाद
बी.एम्.एस.	चिन्दाबाद

नोट - दिनांक 26 एवम् 27 सितम्बर 1995 को प्रस्तावित हड़ताल में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. तथा आज कृषिगत रिजर्व बैंक वर्ल्ड आर्गनाइजेशन शामिल नहीं हैं।



सत्यमेव जयते

D.O.No.12/2/3/95-IR

भारत
नई दिल्ली-110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI 110001

August 19, 1995.

Dear Shri Vajpayee ji,


23 AUG 1995

Kindly refer to your letter dated 31st January, 1995 regarding representation from All India Reserve Bank Workers' Organisation (AIRBWO), Kanpur.

I have had the matter looked into in consultation with Reserve Bank of India. The bank has reported that in 1989, AIRBWO had served a notice of strike demanding invitation for negotiations on its Charter of Demands. When their demand was not acceded to, they moved the matter before Central Government Industrial Tribunal, Bombay. The Central Government Industrial Tribunal, Bombay delivered its Award in 1991 in favour of AIRBWO. Reserve Bank of India assailed the award in a writ petition in the Bombay High Court. The High Court has directed the bank to consider the Charter of Demands of unrecognised unions like AIRBWO. The Court further stated that the manner in which the said demands or Charter may be considered and whether the management would invite the majority and minority unions for actual personal discussion would depend upon the nature of the demands and other relevant circumstances which will have to be left to the discretion of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India would consider the Charter of Demands in accordance with the judgement.

With kind regards,

Yours sincerely,


(MANMOHAN SINGH)

Shri Atal Behari Vajpayee,
Leader of Opposition,
44, Parliament House,
New Delhi.

प्रिय साथियों,

स्टाफ अधिकारी वर्ग "क" मेरिट परीक्षा वर्ष
1994-95 के परीक्षाफल का अन्यायपूर्ण होना

बैंक पबंधन एवं उनकी एसोसिएशन के मध्य हस्ताक्षरित वेतन समझौता एवं "गुप्त" समझौते की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि इती वीघ स्टाफ अधिकारी वर्ग "क" मेरिट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो गया जिसने पूरे देश के रिज़र्व बैंक कर्मियों को स्तब्ध कर दिया । इस विषय पर आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को जो पत्र लिखा है उसे इस आपकी सूचनाय मूलरूप में नीचे प्रस्तुत कर रहे है ।

संगामी बधाईयों सहित,

कर्मचारी एकता - जिन्दाबाद ।

आ. ई. रि. बे. व. जा. - जिन्दाबाद ।

एन. जो. बी. इल्लयू. - जिन्दाबाद ।

बी. एम. एस. - जिन्दाबाद

आपका अपना डी,

सुरेन्द्र नाथ शुक्ला
महामंत्री

"हम आपका ध्यान उच्च विषयक विलंगति की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं एवं शीघ्राति-शीघ्र न्यायोचित शमाधान की माँग करते है ।

वर्ष 1994-95 की परीक्षा में कार्यालय परिपत्र के अनुसार 84 पदों हेतु परीक्षा ली गई थी किन्तु अखिल भारतीय स्तर पर केवल 23 पदों पर भर्ती की गई थी कि नितान्त अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के अधिकार के साथ खिलवाड़ एवं धोकागर्ही है ।

अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को प्राप्तांक की अंक तालिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं । रिज़र्व बैंक में भी स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" "QUALIFYING" परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को प्राप्तांक उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि मेरिट परीक्षा में प्राप्तांक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं । उन्हें प्राप्तांकों की तालिका उपलब्ध करायी जाये ताकि वे ही गई परीक्षा के विषय में अपना सही आँकलन कर सकें और जागे सुधार कर सकें ।

ऐसी परिस्थितियों में बैंक द्वारा भारी धनराशि खर्च करे भारतीय स्तर पर पदोन्नति के लिये परीक्षा का आयोजन करना एवं उसमें स्टाफ द्वारा कठिन मेहनत से परीक्षा में बैठना तथा पूर्ण पदों के न भरे जाने से कर्मचारियों में घोर निराशा, हताशा एवं कुंठा स्थापित होती जा रही है जबकि उनके पदोन्नति के सार्वते वर्तमान परिस्थितियों में लगभग अन्ध से ही हैं ।

ऐसी परिस्थितियों में हम माँग करते हैं कि :-

1. परीक्षा का स्तर ऐसा हो कि जिसके कारण जितने पदों 84 हेतु परीक्षा ली गई, न्यूनतम उतनी संख्या में पदों की भर्ती हो ।
2. मेरिट परीक्षा में प्राप्तांकों की अंक तालिकायें "MARK LISTS" उपलब्ध करायी जाये तथा वर्ष 1994-95 की परीक्षा तथा उसके नतीजों का पुनर्विचार किया जाये तथा परीक्षार्थी के अंकों को प्रभावित करते हुये पूर्ण 84 पदों की भर्ती करायी जाये ।
3. स्टाफ अधिकारी ग्रेड "ए" बाहरी भर्ती सीधी परीक्षा, मेरिट परीक्षा तथा अर्हता परीक्षा "QUALIFYING EXAM" के सही अनुपात का कठोरता से ध्यान रखा जाये ताकि सीधी भर्ती अपने निर्धारित अनुपात से ज्यादा न हो ।

भवदीय,

डॉ ए. एन. मोडरार

महामंत्री

31 अगस्त 1995 की इस्ताल में आर्गनाइजेशन भागीदार नहीं है ।

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
[रन. जी. बी. एड्यू. एवं भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध]

परिपत्र संख्या 10/95

दिनांक : 29 अगस्त 1995

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

समाशोधन गृह कार्य का पंजाब नेशनल
बैंक को स्थानान्तरण

रिज़र्व बैंक प्रबंधन एवं जाल इण्डिया रिज़र्व बैंक इन्वलाइड रसी रिपान के मध्य
हस्ताक्षरित वेतन समझौता तथा एक अन्य "गुप्त" समझौते की स्याही अभी सूख भी
नहीं पाई थी और जो कुछ वेतनमान नती मिल ही पाये थे और नहीं रिपर का
भुगतान हो पाया था कि बैंक प्रबंधन ने एक बहुत बड़ा "धमाका" करके अपने जन्म के
समय से ही किये जा रहे फायरिंग हाउस के परम्परावादी कार्य को अपने पास से
हटाकर व्यापारिक बैंकों को सौंपने का निर्णय लिया और इस कार्य की शुरुआत
करने हेतु कानपुर समेत कुछ केन्द्रों को चुना गया। बैंक प्रबंधन का यह कार्य निन्दनीय
तथा संस्थान के हित में प्रतिगामी उत्तर देने वाला तथा रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के
हितों पर भयंकर कुठाराघात वाला है। हम इस कृत्य की घोर निन्दा करते हैं
तथा आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने हितों की रक्षा करने हेतु किसी भी संघर्ष
हेतु तैयार रहें। इसी विषय पर जाल इण्डिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा
बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को जो पत्र लिखा गया है उसे हम आपकी सुवार्थ मूल रूप में
नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

संग्रामी बधाइयों सहित।


कर्मचारी एकता - जिन्दाबाद।

आ. इ. रि. व. आ. - जिन्दाबाद।

रन. जी. बी. एड्यू. - जिन्दाबाद।

बी. एम. एत. - जिन्दाबाद।

आपका अपना साथी,


शुरेन्द्र नाथ शुक्ला
महाभारती

"Shifting of clearinghouse to the Commercial Bank"

We understand that the Reserve Bank of India has decided to shift Clearing House to Commercial Banks at Ahmedabad, Bangalore, Jaipur, Hyderabad, Kanpur and Nagpur. It is our considered opinion that the bank's move is unwarranted and aiming at transferring of its traditional functions to Commercial Banks thereby creating surplus staff in all categories in Reserve Bank of India.

We firmly oppose this sinister move of the bank which is systematically cutting limbs of RBI and attempt to reduce posts in all cadres.

There is a large scale concern, discontent all over country against this ill conceived moves of RBI. We, therefore, demand of Reserve Bank of India to put a stop this anti-labour attitude forthwith and restore status quo.

Please acknowledge receipt.

Yours sincerely,

Sd/-A.N. Moharir
General Secretary

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर ।

परिपत्र संख्या 9 / 95

दिनांक : 3 अगस्त 1995

प्रिय साथियों,

रिजर्व बैंक में वेतन सफाई -

सफाई के पीछे क्या है ?

जैसा कि आपकी जानकारी में है कि रिजर्व बैंक प्रकृत एवं एम्प्लॉयमेंट ने नुनीम श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार संबंधी एक प्राइवेट सफाई पर हस्ताक्षर 23 जून 1995 को किए हैं। इस सफाई की व्यापक समीक्षा नागपुर में दिनांक 30 जुलाई 1995 को सम्पन्न आल इण्डिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में की गयी और उन बिन्दुओं की भी विवेचना की गयी है जिनके कारण सफाई हुआ है।


नागपुर बैठक की विस्तृत जानकारी देने तथा सफाई के पीछे छिड़े रहस्यों को उजागर करने हेतु आज दोपहर भोजनावकाश 1.15 बजे बैंक के पूर्वी द्वार पर सभा का आयोजन किया गया है जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथमिक है।

कर्मचारी एकता - त्रिन्दादाबाद ।

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. - त्रिन्दादाबाद ।

भारतीय मजदूर संघ - त्रिन्दादाबाद

आपका सहयोगी काक्षी,


8 अगस्त 1995
कानपुर

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया इम्प्लाइज एसोसियेशन, कानपुर

रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प्लाइज यूनियन, कानपुर

आल इण्डिया रिज़र्व बैंक ऑफिसर्स एसोसियेशन {कानपुर इकाई}

रिज़र्व बैंक एस0सी0/एस0टी0 इम्प्लाइज बेलपेयर पेडरेशन, कानपुर

दिनांक: 6 जुलाई 1995

प्रिय साथियों,

रिज़र्व बैंक कर्मचारियों पर लाठी चार्ज - आज प्रातः विभाजन प्रदर्शन

=====

जैसा कि आपको ज्ञात है कि गत 23/24 जून 1995 को विद्युत समस्या से त्रस्त रिज़र्व बैंक कालौनी किदवई नगर निवासीजब दिनांक 25 जून को प्रातः लगभग 10 बजे नौबस्ता विद्युत सब स्टेशन शिकायत करने गए तो विद्युत समस्या के निदान के स्थान पर पुलिस की लाठियों खानी पड़ी। धानाध्यक्ष नौबस्ता ने पुलिस अधीक्षक द्वितीय के नेतृत्व में निहत्थे कालौनी निवासियों पर बर्बर लाठी चार्ज करके अनगिनत साथियों को लहू-लुहान किया, पत्नस्वरूप तमाम साथी अपने हाथ पैर लुढ़ा बैठे। यहीं नहीं हमारे 4 निर्दोष साथियों पर अनगिनत झूठे मुकदमों लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। 25 तथा 26 जून को हम सभी लोगों ने आपके सहयोग से जमानते आदि कराकर अपने साथियों को जेल से मुक्त कराया तथा दिनांक 27 जून को रिज़र्व बैंक गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करके संघर्ष चलाने का संकल्प लिया। धानाध्यक्ष नौबस्ता तथा पुलिस अधीक्षक के निलम्बन एवम झूठे मुकदमों वापस लेने की माँग पर बल देने हेतु 2 दिन क्लियरिंग ठप्प कराकर तथा दिनांक 29 जून 1995 को 2 घन्टे की क्लम बन्द हड़ताल करके आपने प्रशासन को यह दिशा दिया कि अपनी न्यायोचित माँगों को मनवाने हेतु इस संघर्ष को आप किसी भी शर्त पर लगे जा सकते हैं। संघर्ष से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिनांक 4 जुलाई को बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक से भी भेंट की तथा झूठे मुकदमों हटवाने हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।

मित्रों, जहाँ एक ओर हम सीधे संघर्ष में जुड़े हैं वहीं दूसरी ओर समाजवादी तथा वार्ताओं का द्वार भी खोले हुए हैं। दुर्भाग्य से जिला प्रशासन के जिस स्तर पर हमारी वार्ता प्रारम्भ होती है अथवा प्रारम्भ होने वाली होती है उसी अधिकारी के कानपुर से बाहर स्थानान्तरण की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होती है। अतः हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। हमने आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक पाने में सफलता पाई है। और हम आशा करते हैं कि संघर्ष निश्चित ही निर्णायक स्तर पर पहुँचेगा। हम आप सभी द्वारा प्रदत्त सहयोग के आभारी हैं और अपेक्षा करते हैं कि अनुशासित रहकर आप पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। आन्दोलन की इसी कड़ी में आज कार्यालय प्रारम्भ होने के पूर्व रिज़र्व बैंक के पूर्वी द्वार पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

हम हैं आपके साथी-

Am. 10. 25. 95

{आर0बी0एस0 चौहान}
सचिव

रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया इम्प0एस0कानपुर

[Signature]
{पूरन दास}

डी.ए. रोडवरी
रिज़र्व बैंक "डी" क्लास इम्प0यूनियन, कानपुर

[Signature]

{सुरेन्द्र नाथ शुक्ला}
महामन्त्री

रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

[Signature]
{ए0जे0 खान}
सचिव

रिज़र्व बैंक ऑफिसर्स एसोसियेशन, कानपुर

[Signature]
{गौरी शंकर आजाद}
मंत्री


रिज़र्व बैंक एस0सी0/एस0टी0 इम्प0बेलपेयर पेडरेशन, कानपुर।


दिनांक: 30 जून, 1995


साथियों,


पुलिस द्वारा हमारे कालोनीके प्रतिनिधियों एवं निवासियों पर अकारण किए गए बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज के विरोध में आपके द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ संघर्ष की भावना को प्रशंसा करते हुए हम कल की दो घण्टे की कलमबन्द हड़ताल की पूर्ण सफलता पर आपको धन्यवाद देते हैं जिसके कारण कल को प्रथम विलथरिंग नहीं हो सका। हम आपको जुझारू भावनाओं का सम्मान करते हैं। विगत दो दिनों में बैंक और प्रशासन के स्तर पर पोटिटों को न्याय दिलाने और दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने का दशा में कुछ प्रगति हुई है। आपकी सफलता ने बैंक और प्रशासन को Remedial कदम उठाने की ओर प्रेरित किया है। हमें विश्वास है कि वांछित परिणाम शीघ्र निकलेगा। साथ ही हम अपने सभी जिम्मेदार साथियों से अपील करते हैं कि बैंक में कार्यरत संघर्ष सभी संगठनों को संयुक्त कमान द्वारा निर्धारित संघर्ष की रूपरेखा को यथोचित सम्मान दें। हमारे सभी संगठन आपको संघर्ष भावना का आवर करते हैं और अपने को सशक्त महसूस करते हैं। हम अपने सभी साथियों से पुनः अपील करते हैं कि दिनांक 27.6.95 को हुई असाधारण विरोध रैली में आम सहमति के अनुरूप अपने संघर्ष को अनुशासित रखें सफलता निश्चित है।

हम हैं आपके साथी,


॥ आर. बी. एस. चौहान ॥
सचिव
रिज़र्व बैंक इम्प्लॉईज एसोसिएशन
कानपुर


॥ सुरेन्द्र नाथ शुक्ल ॥
महामंत्री
रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन
कानपुर


॥ पूरन दास ॥
चीफ सेक्रेटरी
रिज़र्व बैंक "डी" बलास इम्प्लॉईज
यूनियन कानपुर


॥ ए. जे. खान ॥
संयुक्त सचिव
आल इण्डिया रिज़र्व बैंक आफ़ीशरी
एसोसिएशन कानपुर इकाई

॥ गौरी शंकर आजाद ॥
सचिव
रिज़र्व बैंक एस. सी./एस. टी. इम्प्लॉईज वेलफेयर
फेडरेशन कानपुर

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
§ स्न. ओ. बी. डब्ल्यू. एवम भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध §


परिपत्र संख्या : 8/95


दिनांक: 14 जून, 1995

संगठनात्मक चुनाव

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर के वर्ष 1995-96 हेतु निम्न पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए :-

- | | |
|----------------------|--|
| 1- अध्यक्ष | - श्री राम किशोर सविता |
| 2- उपाध्यक्ष | - श्री कैलाश नारायण बाजपेयी |
| 3- महामंत्री | - श्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ल |
| 4- मंत्री | - श्री अशोक कुमार §चतुर्थ§ |
| 5- संगठनमंत्री | - श्री रामचन्द्र साधवानी |
| 6- फोखाध्यक्ष | - श्री बाबू लाल §प्रथम§ |
| 7- कार्यकारिणी सदस्य | - 1. श्री उमाशंकर अवस्थी §11§
2. श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव
3. श्री संतोष कुमार जायसवाल
4. श्री राधामाधव दिवेदी
5. श्री राम किशोर |


§ कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव §
चुनाव अधिकारी


§ जागेश्वर प्रसाद §
चुनाव अधिकारी

Reserve Bank Workers Organisation, Kanpur
(Affiliated to A.I.R.B.W.O., NOBW & BMS)

Cir.No.7/95

Dated 5th June 1995

Dear brothers & sisters,

We reproduce below the letter dated 3rd May 1995 written by AIRBWO to the Bank, which is self explanatory.

With greetings,

AIRBWO)
NOBW) ZINDABAD
BMS)

Brotherly Yours,
Sumantha N. Shukla
(S.H. SHUKLA)
GENERAL SECRETARY

All India Reserve Bank Workers Organisation,
Central Office, Nagpur

3 MAY 1995

"Dr. C. Rangarajan
Governor
Reserve Bank of India,
Central Office,
BOMBAY.

Sir,

Negotiation on Charter of Demands
and our participation therein -

We understand from the circulars issued by All India Reserve Bank Employees' Association (AIRBEA) and the Fax message dt.5th April '95 of the Bank that negotiations regarding wage revision etc. have come to stage of stalemate. We are very much representing a Charter of Demands from a big chunk of Reserve Bank Employees and we are working on a totally different principles, the grounds on which our charter is based upon is different from AIRBEA. To elaborate, we detail below the demands of AIRBEA and that of All India Reserve Bank Workers' Organisation (AIRBWO).

<u>Item</u>	<u>AIRBEA's Demand</u>	<u>AIRBWO's Demand</u>
1. Basic Pay	The upward revision be fixed at Index point - 1048 on the following principles : a) Erosion upto index point 600 be compensated in full. b) Suitable increase in percentage thereon. c) Remaining 448 points to be merged with 100% neutralisation. (No scale of Pay is worked out)	A pay scale has been worked out on the basis of 1270 merger of D.A. at 1148 of Index points + 25% notional increase of the same thereon.
2. C.C.A.	15% of pay, without any ceiling.	15% with a minimum of Rs.350/- and 100% of which shall rank for calculation of O.T. Allowances, Bonus, D.F. and Gratuity.
3. Conveyance Allowance	Rs.300/- per month.	Reimbursement at the rate of Rs.400/- per month.

.....P.t.o.

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 4. Bonus | Should be paid as ex-gratia payment @ 15% of annual aggregate of pay, D.A. and C.C.A. | Should be paid to all employees at the rate of two months' average pay and allowances as deferred wage. |
| 5. Leave Facilities | a) Overall accumulation limit of O.L. be raised to 300 days.

b) The overall accumulation limit of Sick leave to be on a continuing basis. | a) Facility of availing half a day's Casual leave should be introduced.

b) O.L. should be calculated at 9 days per quarter (one tenth part of duty) and to be credited to leave account at the end of each quarter. There should be no limit for accumulation of O.L.

c) There should be no maximum limit for accumulation of Sick leave and it should be calculated at 5 days per quarter. |
| 6. Super-annuation Benefits | i) <u>Gratuity</u> : Entitlement should be one month's pay + D.A. for every completed year of service without any ceiling.

ii) <u>Provident Fund</u> : Contribution to P.F. from both sides be on Pay + D.A. | i) <u>Gratuity</u> : Should be paid at the rate of one month's pay + D.A. + CCA last drawn for every completed year of service without any limit.

ii) <u>Provident Fund</u> : Contribution by both the sides should be at the rate of 10% of Pay + D.A. + CCA.

iii) <u>Pension</u> : As third retiral benefit. |

From the above it is crystal clear that we want to advance and contribute different arguments, perceptions and therefore, the Reserve Bank of India must hold meaningful negotiations with AIRBWO which has been made mandatory on the Bank by the Bombay High Court Judgement dated 16th September, 1994.

We would like to make it clear to the R.B.I. management that non-response to our demand of consideration of the Charter of Demands within a fortnight from the date of receipt of this letter will be construed as patent non-compliance of High Court directives and shall be accordingly dealt with by resorting to contempt of Court proceedings against the Reserve Bank management and for the cost and consequences of which shall be borne by R.B.I. management.

Please take note.

Yours Sincerely,

sd/-

(A.N. Moharir)
General Secretary

रजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

(सम्बद्ध-एन. ओ. बी. डब्लू, एवं भारतीय मजदूर संघ)

6, THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW, FRIDAY, MAY 26, 1994



THE TIMES OF INDIA
A Thought for Today

AIRBWO seeks FM's intervention

The Times of India News Service
KANPUR, May 25:

THE All-India Reserve Bank Workers Organisation (AIRBWO) affiliated to the Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), has sought the intervention of the finance minister, Manmohan Singh. In a memorandum it urged him to direct the RBI management to invite the organisation for discussion on its charter of demands immediately. Giving

details, deputy-general secretary of the AIRBWO, SN Shukla said the RBI management had not yet accorded recognition to the organisation though it had been functioning in the bank since 1965.

The organisation raised its voice over the issue some time back. The Central government however, referred the matter to the industrial tribunal, presided over by a former judge of the Bombay High Court, Justice Khatri.

Giving its ruling in favour of the organisation, the Khatri tribunal directed the RBI to hold negotiations and settle the demands raised by the AIRBWO. But, the management challenged it and filed appeal in the Bombay High Court.

The high court passed the following order on September 16, 1994, "the action of the RBI management in not taking into consideration the charter of demands by the organisation is not justified and the RBI is directed to take into consideration the charter of demands as well".

It is in view of this court directive that the finance minister has been approached, Mr Shukla said.

Their charter of demands includes immediate revision of pay-scale and time-bound promotions among other things. Giving examples of stagnation, Mr RK Savita, president of the organisation, local unit, said he joined the bank as a typist in 1964, and upto now he is working on the same post. Likewise, Mr Shukla joined as a clerk in 1969 and has remained a clerk till date.

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर
॥ एन. ओ. वी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ॥

37/19-सी, माल रोड,
कानपुर-208001

परिपत्र संख्या 5/95

दिनांक 20 मई, 1995

सूचना - संगठनात्मक चुनाव सत्र 1995-96

रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर के सत्र 1995-96 हेतु पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों के चुनाव निम्न विवरण एवं कार्यक्रमानुसार तन्मन्न होंगे।

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	1
3.	महामंत्री	1
4.	मंत्री	1
5.	संगठन मंत्री	1
6.	कोषाध्यक्ष	1
7.	कार्यसमिति सदस्य	5

चुनाव कार्यक्रम

नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	= 3 जून 1995 अपराह्न 1.15 बजे तक
नाम वापसी की अंतिम तिथि	= 6 जून 1995 अपराह्न 5.00 बजे तक
चुनाव	= 10 जून १.15 बजे से ११

चुनाव अधिकारी 1- श्री के. एस. श्रीवास्तव
2- श्री जागेश्वर प्रसाद

सुरेन्द्र नाथ शुक्ल
॥ सुरेन्द्र नाथ शुक्ल ॥
महामंत्री

रिजर्व बैंक इम्प्लाइज रिटायरेशन क्लब कानपुर के चुनाव

चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया रद्द घोषित ।

प्रिय भाइयों एवं बहनों,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्लब के चुनाव दिनांक 19 मई 1995 को घोषित किए गए थे जिसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई थी । इस तिथि को नामांकन पत्र जमा करने के उपरान्त तमाम प्रत्याशी अन्तिम सूची का प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक 2.30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा रद्द घोषित कर दी गई है । उत्तेजित प्रत्याशियों द्वारा कारण पूछने पर चुनाव अधिकारी श्री डी.पी. त्रिवेदी ने सूचित किया कि धीके 13 चुनाव अधिकारियों में मात्र 5 ही उपस्थित थे अतः कोरम के अभाव में उन्होंने सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया रद्द घोषित कर दी है । तमाम प्रत्याशियों द्वारा उनके इस तर्क का विरोध किया गया फिर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला ।

मित्रों, श्री डी.पी. त्रिवेदी के कथन को यदि सही भी मान लिया जाय तो 5 चुनाव अधिकारी उपस्थित थे और 2 चुनाव अधिकारी उनको सूचित करके/अनुमति लेकर चले गये थे । इस प्रकार 13 चुनाव अधिकारियों में 7 को उपस्थित बहुमत की थी अतः चुनाव प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय अवैधानिक है । वास्तविकता यह है कि 11 चुनाव अधिकारी हैं, न कि 13 ।

चुनाव प्रक्रिया रद्द क्यों ?

एसोसिएशन नियंत्रित टीम स्थानीय कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक पर काब्ज है जिसके परिणाम ग्रेडिड बैंक के सदस्य गुप्त रहे हैं । एसोसिएशन नियंत्रित टीम सहकारी जलपान समिति पर काब्ज है जिसने बिना गुणवत्ता सुधार 30 से 40 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि करके आम कर्मचारियों का जेबें हल्का करने का कार्य किया है ।

उक्त दोनों स्थानों पर कर्मचारियों ने यह अनुभव किया कि एसोसिएशन नियंत्रित टीम उनका आकांक्षाओं का पूर्ति न करके उनके साथ अन्याय कर रही है अतः क्लब के वर्तमान चुनाव में एसोसिएशन के विरोध का वातावरण बना तथा रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, रिजर्व बैंक "डो" क्लास इम्प्लाइज यूनियन, रिजर्व बैंक एस. सो./एस. टो. वेलफेयर फेडरेशन तथा एसोसिएशन के कुछ सदस्यों, अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम कर्मचारियों आदीव ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया और एक पक्ष से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जिसकी जानकारी होने पर एसोसिएशन पदाधिकारी अपनी आसन्न पराजय से घबड़ा गए और इस मोर्चे को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जहां पर सफलता न मिलने पर उन्होंने अपने सक्रिय कार्यकर्ता एवम् चुनाव अधिकारी श्री डी.पी. त्रिवेदी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया ही रद्द घोषित करा दी ।

साथियों, साजिसन चुनाव प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा को हम निन्दा तथा भर्त्सना करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि यह कार्य अवैधानिक तथा असंवैधानिक है इसीलिए हमने क्लब के अध्यक्ष / बैंक के मुख्य महाप्रबंधक महोदय को एक पत्र देकर तुरन्त क्लब कार्यकारिणी भंग करने तथा चुनाव प्रक्रिया पुनर्जीवित करने की मांग की है । आप सभी से अपील है कि हर उपलब्ध अवसर तथा भंग पर आप साा इस घोषित कार्य को निन्दा करें तथा चुनाव प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होने पर संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशियों को अपना सहयोग देकर विजय बनायें । अपने स्वाभिमान को रक्षा आपको स्वयं करना होगी ।

- आपके अपने साथी -

Surinder Nath Shukla

शुभेन्द्र नाथ शुक्ल
महासचिव
रिजर्व बैंक वर्कर्स
आर्गनाइजेशन, कानपुर

Om Prakash Tiwari

कुंते चाफ सेक्रेटरी
रिजर्व बैंक "डो" क्लास
इम्प्लाइज यूनियन, कानपुर

Shri. Shri. (Kant)

श्री शंकर आजाद
मंत्री
रिजर्व बैंक एस. सो./एस. टो.
इम्प्लाइज वेलफेयर फेडरेशन,
कानपुर ।

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन, कानपुर

§ एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध §
परिपत्र सं. 3/95 दिनांक 25 अप्रैल, 1995

प्रिय भाइयों स्वम बहनो,

चेतन वार्ता में देखी वयो 9

आज दोपहर 1.15 बजे

विरोध प्रदर्शन एतम गेट मीटिंग

आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक दिनांक 14-15 अप्रैल 1995 को बंगलौर में सम्पन्न हुई जिसमें इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी कि रिजर्व बैंक कर्मियों के वेतन बढ़ोत्तरी एवं सेवा शर्तों में सुधार संबंधी मांगपत्र पर रिजर्व बैंक प्रबंधन ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है साथ ही साथ "एसोसिएशन" ने भी आज तक वार्ता में गतिरोध के विन्दुओं को उजागर न करके अभी तक कर्मचारियों को अंधरे में रखा है। बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत बैंक प्रबंधन ने अभी तक आर्गनाइजेशन के मांगपत्र पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंबई उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा बैंक प्रबंधन को यह निर्देश दिया है कि वह आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र पर अनुकूल रुख अपनावे तथा उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। अतः हमारे मांगपत्र पर बैंक प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श न करने का सीधा अर्थ है प्रबंधन द्वारा न्यायालय की अवमानना करना। ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक कर्मों यह नहीं समझ पा रहे हैं कि रिजर्व बैंक प्रबंधन की मंशा क्या है साथ ही साथ प्रबंधन तथा एसोसिएशन के मध्य कौन सी छिछड़ी पक रही है। आर्गनाइजेशन ने सम्पूर्ण घटनाक्रम का गंभीरता से अध्ययन किया है और यह तय किया है कि यह आवश्यक है कि अब बैंक प्रबंधन को यह चेतावनी दी जाए कि लम्बित मांगपत्र पर हमसे सार्थक वार्ता प्रारंभ न करना औरों गिक वातावरण में प्रतिकूल उत्तर डालना होगा अतः अखिल भारतीय स्तर पर आर्गनाइजेशन ने आज 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

हम आप सभी से विनम्र अपील करते हैं कि आज दोपहर 1.15 बजे बैंक के पूर्वी द्वार पर एकत्र होकर प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारा सौभाग्य है कि आज की गेट मीटिंग में देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ में अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री ओम प्रकाश अग्गी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संग्रामी पधाइयों सहित।

कर्मचारी एकता - जिन्दावाद।
एन. ओ. बी. डब्लू. - जिन्दावाद।
भारतीय मजदूर संघ - जिन्दावाद।

आपका सहयोगकर्ता

सुरेन्द्र नाथ शुक्ल

§ सुरेन्द्र नाथ शुक्ल §

महामंत्री

मांगपत्र पर बात करो

मांगों को स्वीकार करो।



रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, लखनऊ

(संबद्ध एन० ओ० बी० डब्लू० एवम् बी० एम० एन०)

पेठार का पता :
, बिराम लण्ड,
तीनगर, लखनऊ
392075

12/608, इन्दिरानगर,
लखनऊ

सी-1280, इन्दिरानगर,
लखनऊ

सूचना

रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, लखनऊ की वार्षिक आम सभा दिनांक 10 अप्रैल 1995 को बैंक परिसर में सम्पन्न हुयी। इस सभा में श्री सुबेन्द्र नाथ शुकल, उप मुख्य सचिव, अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक वर्क्स आर्गनाइजेशन, काशीपुर से पधारें।

सभी सदस्यों की आम सहमति से वर्ष 1995-96 की अवधि हेतु नई कार्य कारणों में निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचने चुने गये:-

- 1- अध्यक्ष श्री राम शंकर गुप्ता
- 2- उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता
- 3- सचिव श्री पणोन्द्र नाथ चतुर्वेदी
- 4- सहायक सचिव श्री उमेश कुमार पाण्डेय
- 5- कोषाध्यक्ष श्री सुन्दर लाल

6- कार्यकारणी सदस्य:-

§ i § सामान्य अनुभाग:

- 1- श्री योगेन्द्र पाल सिंह
- 2- श्री गुलाब चन्द
- 3- श्री राम दास चौधरी

§ ii § नवदी अनुभाग:

- 1- श्री अंजुम हुरीनी
- 2- श्री सभा शंकर
- 3- श्री अशोक सक्सेना

(Handwritten signature)

§ पणोन्द्र नाथ चतुर्वेदी §
सचिव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्गनाइजेशन, सी.एन.ए.
 § संक. - भारतीय मजदूर संघ एवं नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स §
 परिपत्र संख्या 1/1995-96 दिनांक 25 अप्रैल 1995
 बंधुओं,

मांग-पत्र पर समाप्ति वार्ता- आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की भागीदारी

जैसा कि आप सभी को विदित है कि आल इंडिया रिजर्व बैंक इम्प्लॉईज एशोसियेशन और रिजर्व बैंक मैनेजमेन्ट के बीच मांग पत्र पर वार्ता में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परन्तु स्पष्ट स्थिति से साधारण सदस्यों को अवगत नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान प्रपत्रों के माध्यम से जो सूचना दी जा रही है वह भ्रामक है। आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने पिछले मांग पत्रों में समझौतों के बाद टिक्वूनल के माध्यम से समय-समय पर कर्मचारियों को अनिश्चितता का भ्रम दिया है और हमारा यह प्रभाव रहता है कि पिछले पिछले वार्ताओं पर कर्मचारियों के अनुसार चलते हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। आभवादी नीतियों के तहत एशोसियेशन के आकाओं ने कभी भी रिजर्व बैंक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। जिसका परिणाम आपके सामने है कि चत्तालीपाट्टम परीक्षा में बैठने के लिए कर्मचारियों को लगभग 30 वर्ष की सेवा के पश्चात अवसर मिलता है और परीक्षा पास करने के बाद भी कई वर्षों तक पदोन्नति नहीं मिल पाती है।

ए.आई.आर.बी.डब्ल्यू.ओ. इस ओर बराबर प्रयासरत है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति मिलनी चाहिए। जिससे कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

आइये हम सब रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के हाथों की मजबूत बनायें जिससे हम सब के भविष्य और बेहतर वेतन का लाभ हमें मिल सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 16 सितम्बर 1994 को बम्बई उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया था कि ए.आई.आर.बी.डब्ल्यू.ओ. के मांग पत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधन विचार करे। जिसके अन्तर्गत हमने अपना मांग पत्र दे दिया है। परन्तु अभी तक प्रबंधन ने इस ओर कोई धनात्मक सकेत नहीं दिया है। इस विषय को लेकर दिनांक 25 अप्रैल 1995 का संनय के समय हम प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से सम्मुख प्रदर्शन करेंगे। और प्रबंधन से मांग करेंगे कि वह न्यायालय के आदेशों को अवहेलना न करते हुए हमारी मांगों पर विचार करे और हमसे मांग पत्र पर वार्ता प्रारम्भ करे। इस पुनर्लेन कार्य में हम सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वह हमें सहयोग दें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य के लिये सदैव संघर्षरत रहेंगे।

- एआईआरबीडब्ल्यूओ- जिन्दाबाद
- एमआईडब्ल्यू - जिन्दाबाद
- बीएमएस- - जिन्दाबाद
- एयरवी से मांग पत्र पर वार्ता- शुरू करो
- लाल गुलामी छोड़कर- बोलो वंदेमातरम.

आपका जुझारु साथी
 1500/9-11/95
 पामीन्द्रनाथ चतुर्वेदी
 महासचिव

प्रिय बन्धुओं,

वेतन वार्ता- देरी क्यों ? भोजनावकाश में विरोध प्रदर्शन

आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन की केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक दिनांक 14-15 अप्रैल 1995 को कोलकोरा में सम्पन्न हुयी। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी एवं सेवा शर्तों में सुधार सम्बन्धी मांग पत्र पर रिज़र्व बैंक प्रबन्धन की रहस्यमई चुप्पी तथा साथ ही "एसोसिएशन" द्वारा दस लाखों रुपये को टाप सीक्रेट ढंग से हल करने की प्रवृत्ति की तीव्र भर्त्सना की गयी। एसोसिएशन ने अपने पिछले परिपत्र में भी वार्ता में आये गतिरोध को न तो पूर्णतः उजागर किया है और न ही उन्होंने बैंक प्रबन्धन के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी कर्मचारियों को दी है।

बम्बई उच्च न्यायालय के 16 सितम्बर 1994 के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात यह अपेक्षा थी कि बैंक प्रबन्धन आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन के मांग पत्र पर अनुकूल रूप अपनायेगा तथा उसे सकारात्मक वार्ता हेतु आमंत्रित करेगा। तब उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत में उदात्त कर बैंक प्रबन्धन एसोसिएशन के साथ टाप सीक्रेट ढंग से क्या खिचड़ो पका रहा है, रिज़र्व बैंक वर्कर्स समझने में असमर्थ है।

सारथियों हमारे कामरेड साथी जब पिछले बैंक वार्ता में "बेनी" की भागीदारी न होने की एक अहम मुद्दा बनाये गये थे तथा उसके लिए तब संघर्ष था, आज दूसरी ही भाषा बोल रहे हैं। क्या कामर्शियल बैंकों के समझौते में उनको भागीदारों बैंक कर्मियों के हितों के लिये आकांक्षक थी और वही दूसरी ओर रिज़र्व बैंक में आर्गनाइजेशन की भागीदारों रिज़र्व बैंक कर्मियों के लिये अनाकांक्षक ? यह हमारे कामरेड सारथियों को विधारधारण की संकीर्णता नहीं तो क्या है। यदि उन्हें वास्तव में रिज़र्व बैंक कर्मियों की चिंता है और वह अपने सारथियों को बेहतर वेतन लागू एवं सेवा शर्तों में सुधार के पथपर है तो उन्हें यह संकीर्ण छोड़ना ही होगा। आज आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने अदैव ही रिज़र्व बैंक कर्मियों को तर्कीयता मांगों के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया है और उन्हें प्राप्त करने में सक्षमता भी पाई है। आज जब बैंकिंग उद्योग में समझौते के उपरान्त कुछ बैंक अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन लाभ तथा पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के लिये अलग से समझौते कर रहे हैं, रिज़र्व बैंक प्रबन्धन अपनी पुरानी तर्कीय ही पीट रहा है। क्या साथ बैंक प्रबन्धन पर उचित दबाव डालने की आवश्यकता है जो केवल संगठित प्रयास से ही सम्भव है। यदि इस समय हमने उचित प्रयास न किये तो बैंकिंग उद्योग में हमारी विशिष्ट कर्तव्य पर होगी यह गतिस्थ ही बनायेगा तथा रिज़र्व बैंक कर्मियों के इस परमाणु का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यता मान्यता प्राप्त "एसोसिएशन" पर होगी।

सारथियों आज आल इंडिया रिज़र्व बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन ने सम्पूर्ण परमाणु का सम्भीरता से अध्ययन किया है। इसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया है कि बैंक प्रबन्धन को यह चेतावनी दी जाये कि आर्गनाइजेशन के लिखित मांग पत्र पर सकारात्मक रूप अपनाये। बैंक प्रबन्धन द्वारा आर्गनाइजेशन की वार्ता हेतु आमंत्रित न करना न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवमानना है।

इसी परिपेक्ष में आज दिनांक 9 मई 1995 को भोजनावकाश के दौरान हम प्रभारी अधिकारी के वक्ष के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सदैव से ही रिजर्व बैंक क्रमियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति जागरूक रहे हैं और आज भी आपके सक्रिय सहयोग से आपका भविष्य उज्ज्वल बनाने में सहयोग का आश्वासन देते हैं।

आपका जुझारू साथी

Manoj Kumar

§ फणीन्द्रनाथ चतुर्वेदी §
महामन्त्री।

एआई आरबीडब्लूओ- जिन्दाबाद

एनओबीडब्लूओ - जिन्दाबाद

बीएमएस- - जिन्दाबाद

एयरबो से माँग पत्र पर वार्ता- शुरू करो
शुरू करो

लाल गुलामी छोड़कर- बोलो वंदेमातरम।

माँग पत्र पर बात करो, माँगों को स्वीकार करो।

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के वार्ता के अधिकार को बहाल किया जाये

(प्रतिनिधि)

कानपुर, 22 सितम्बर। उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के कानपुर प्रांत में विभिन्न बैंकों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष धरना एक दिवसीय धरना देकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। बाद में हुई धरना में मांग की गयी कि एन ओ बी डब्ल्यू के कर्त्तव्य को अतिक्रमण न हो बहाल किया जाए। यूपी, बैंक कर्मचारियों ने यूपिन ने आयोजित दो दिवसीय विरोध दिवस का आयोजन करने के लिये शांतिपूर्ण विरोध दिवस बैंक के सम्मुख नाराजगी न प्रदर्शन किया।

भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रपति को भी डब्ल्यू. के आदेश पर उत्तर प्रदेश बैंक कर्मियों का धरना के बारे में आज दिन धरना देकर कर्मचारी स्वाभाविक सरकार, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक की



विभिन्न बैंक क्षेत्र पर कर्मचारियों का धरना।

फोटो-आमरण

THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW,

NOBW not to participate in bank stir

The Times of India News Service KANPUR, September 22: Members of the National Organisation of Bank Workers (NOBW) affiliated to the Bhutiya Mazdoor Sangh will not participate in the proposed country-wide strike of bank employees on Sept 26 and 27.

कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में नारे लगाते रहे तथा कम्प्यूटीकरण नीति को कोसने के साथ-साथ धरना पर सभी बैंकों को हटाने की मांग करते रहे। सभा में रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के महासचिव सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधन की धरना करने की बात कही कि एन ओ बी डब्ल्यू द्वारा आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बंधी स्पष्ट आदेश के बिना बैंक बैंक ने बचर्ड उच्च न्यायालय में अपील करने, न्यायाधीशों की आवाजों का अन्याय किया। बचर्ड उच्च न्यायालय ने भी जब स्पष्ट आदेश दिये कि रिजर्व बैंक प्रबंधन को आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांग पर धरना करने की शर्तों पर भी बैंक प्रबंधन ने दुराचारी उपायों की तथा अपनी धरना भी यूपिन से समझौता कर लिया है। श्री शुक्ला ने घोषणा किया कि रिजर्व बैंक प्रबंधन पर बचर्ड उच्च न्यायालय की अंतर्गत का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है।

धरना के अधिकार से मात्र इसलिये वंचित करना कि वह कम्प्यूटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, राष्ट्रवादी बैंक कर्मचारियों के मुंह में ताला लगाया है। जिससे देश हित में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने मांग की कि एन ओ बी डब्ल्यू के कर्त्तव्य को अतिक्रमण न हो बहाल किया जाए। धरना पर सभी बैंक हटाई जाय तथा आन्ध्रप्रदेश कम्प्यूटीकरण समझौते में नहीं है जिसे माना किया जाए।

भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने धरना कि एन ओ बी डब्ल्यू को द्विपक्षीय

उच्च न्यायालय में अपील करने, न्यायाधीशों की आवाजों का अन्याय किया। बचर्ड उच्च न्यायालय ने भी जब स्पष्ट आदेश दिये कि रिजर्व बैंक प्रबंधन को आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांग पर धरना करने की शर्तों पर भी बैंक प्रबंधन ने दुराचारी उपायों की तथा अपनी धरना भी यूपिन से समझौता कर लिया है। श्री शुक्ला ने घोषणा किया कि रिजर्व बैंक प्रबंधन पर बचर्ड उच्च न्यायालय की अंतर्गत का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है।

बैंक कर्मियों ने विरोध दिवस मनाया

रिजर्व बैंक पर धरना, सरकार विरोधी नारे लगे

कानपुर, 22 सितम्बर। एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के आदेशान पर उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन ने आज सात सूत्रीय मांग को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर 'धरना' देकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। कर्मचारी दिन भर केन्द्र सरकार, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध में नारे लगाते रहे। सभी ने कम्प्यूटीकरण नीति को कोसने के साथ-साथ धरना पर सभी बैंकों को हटाने की मांग की थी।

धरने में कैलाश किया गया कि 26 व 27 सितम्बर को एन.ओ.बी.डब्ल्यू. प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं होगा।

रुभा को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के महासचिव सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधन की धरना की कला कि सभी एन ओ बी डब्ल्यू रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बंधी स्पष्ट आदेश के बिना बैंक ने बचर्ड उच्च न्यायालय में अपील करने के साथ-साथ धरना किया है।

यूपी, बैंक कर्मचारियों ने यूपिन ने आयोजित दो दिवसीय विरोध दिवस का आयोजन करने के लिये शांतिपूर्ण विरोध दिवस बैंक के सम्मुख नाराजगी न प्रदर्शन किया।

भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने धरना कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के द्विपक्षीय, धरना के अधिकार से वंचित कर रहा है क्योंकि वह कम्प्यूटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। प्रदेश महासचिव श्री.के. शर्मा ने मांग की कि रिजर्व बैंक सहित सभी बैंक कर्मचारियों को मान्यता दिया जाए, छठे वेतन समझौते को लागू किया जाए और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति 120 प्रतिशत की दर से की जाए।

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के महासचिव सुरेंद्र नाथ शुक्ला ने भारतीय रिजर्व बैंक प्रबंधन की धरना की कला कि सभी एन ओ बी डब्ल्यू रिजर्व बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन को मान्यता देने सम्बंधी स्पष्ट आदेश के बिना बैंक ने बचर्ड उच्च न्यायालय में अपील करने के साथ-साथ धरना किया है।



विभिन्न मांगों को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर धरना देते बैंक कर्मचारी: स्वतंत्र भारत

मांगों को लेकर एन.ओ.बी. डब्ल्यू. ने रिजर्व बैंक पर धरना दिया

(कानपुर संवाददाता) कानपुर, 22 सितम्बर। इंडियन बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के कानपुर प्रांत में विभिन्न बैंकों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष धरना देकर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। बाद में हुई धरना में मांग की गयी कि एन ओ बी डब्ल्यू के कर्त्तव्य को अतिक्रमण न हो बहाल किया जाए। यूपी, बैंक कर्मचारियों ने यूपिन ने आयोजित दो दिवसीय विरोध दिवस का आयोजन करने के लिये शांतिपूर्ण विरोध दिवस बैंक के सम्मुख नाराजगी न प्रदर्शन किया।

धरना के अधिकार से मात्र इसलिये वंचित करना कि वह कम्प्यूटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, राष्ट्रवादी बैंक कर्मचारियों के मुंह में ताला लगाया है। जिससे देश हित में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने मांग की कि एन ओ बी डब्ल्यू के कर्त्तव्य को अतिक्रमण न हो बहाल किया जाए। धरना पर सभी बैंक हटाई जाय तथा आन्ध्रप्रदेश कम्प्यूटीकरण समझौते में नहीं है जिसे माना किया जाए।

भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने धरना कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के द्विपक्षीय, धरना के अधिकार से वंचित कर रहा है क्योंकि वह कम्प्यूटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। प्रदेश महासचिव श्री.के. शर्मा ने मांग की कि रिजर्व बैंक सहित सभी बैंक कर्मचारियों को मान्यता दिया जाए, छठे वेतन समझौते को लागू किया जाए और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति 120 प्रतिशत की दर से की जाए।

आयतापन, शिक्षा हाता, इत्र नाचान आदि ने संबोधित किया तथा आन्ध्रप्रदेश नाम चतुर्वेदी ने की।

धरना के उपरान्त भारतीय रिजर्व बैंक को संबोधित एक ज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक के महासचिव सुरेंद्र नाथ शुक्ला को दिया गया जिसमें मांग की गयी कि एन ओ बी डब्ल्यू को मान्यता दी गयी है।

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के प्रादेशिक मंत्री श्री.के. शर्मा ने घोषित किया कि आयतापन 26, 27 सितम्बर को बैंक हड़ताल में एन ओ बी डब्ल्यू शामिल नहीं है।

सहारा समाचार, 23 सितम्बर 1995

मांगों को लेकर रिजर्व बैंक गेट पर कर्मियों का धरना सहारा समाचार

कानपुर, 22 सितम्बर। भारतीय मजदूर संघ के नगर मंत्री अरुण कुमार मिश्र ने धरना कि एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के आदेशान पर उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के धरने तले आज रिजर्व बैंक गेट पर शर के सौकरी बैंक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया तथा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। इस अवसर पर उ.प्र. बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के प्रादेशिक मंत्री श्री.के. शर्मा ने घोषणा की कि 26 व 27 सितम्बर को बैंक कर्मचारियों ने होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. शामिल नहीं होगी।

धरने में प्रमुख रूप से आनन्द स्वरूप शर्मा, आ.के. सविता, पी.एन. वा. तपेयी, नरवल पाण्डेय, एन.के. मेरठोरा, के.के. श्रीवास्तव व कालिका प्रसाद ने संबोधित किया।

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के प्रादेशिक मंत्री श्री.के. शर्मा ने घोषित किया कि आयतापन 26, 27 सितम्बर को बैंक हड़ताल में एन ओ बी डब्ल्यू शामिल नहीं है।



रिजर्व बैंक परिवार के बाहर शुकवार को धरना देते बैंक कर्मचारी

फोटो: अमर उजाला

रिजर्व बैंक परिवार के बाहर शुकवार को धरना देते बैंक कर्मचारी

रिजर्व बैंक परिवार के बाहर शुकवार को धरना देते बैंक कर्मचारी

मिर्च पान खांखिनी माकाम, फलाम तकि खोखी



मिर्च पान खांखिनी माकाम, फलाम तकि खोखी

मिर्च पान खांखिनी माकाम, फलाम तकि खोखी

उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गनाइजेशन

पंजीयन सं० २८२६

(सम्बद्ध : एन० ओ० पी० इन्स्यू० एवं भारतीय मजदूर संघ)

केन्द्रीय कार्यालय :- २४, लक्ष्मी मार्केट, बेलनगंज, आगरा-२०२००४

दिनांक २१-५-९५

प्रिय श्री कोमला जी,

सप्रेम जयश्रीवाक्य।


जैसी कि आपकी पूर्व सूचना थी, दिल्ली के
 आतिथिघर कार्यक्रम के कारण मैं पटना नहीं आ सका।
 मैं पटना के सभी वन्द्युक्तों से शक्रा भांगक हूँ।
 दिल्ली की प्रगति तथा की जानकारी मैं नाम मात्र
 पर श्रेय मिलता है। मा. कल्याण सिंह जी से
 २३/५/९५ का प्रारंभिक प्रकृत समाचार है।

श्री एम. डी. मुखर्जी जी हमारे पारलामेन्ट
 (मिनिस्टर) के विषय में हमारे संगठन से बहुत
 की थी। आपका सहयोग तथा स्थानीय कार्य
 श्री मुखर्जी जी को मिले ऐसी आशा है।

श्री शैलजी सिंह जी के (लाभ) की जानकारी
 अवश्य है। श्री विनोद जी पाठक जी को
 श्री मुखर्जी जी के विषय में अधिक जानकारी

आपका आभार है,

१९९५



ALL INDIA RESERVE BANK WORKERS' ORGANISATION

CENTRAL OFFICE - NAGPUR

(AFFILIATED TO BHARATIYA MAZDOOR SANGH & NATIONAL ORGANISATION OF BANK WORKERS)

Int : SHRI P. S. PUTTURAYA
Secy. : SHRI A. N. MOHARIR

Mrs. H. M. Deo

Bombay
Correspondence Address :
A. N. MOHARIR
122, Jaiprakash Nagar,
Khamla, NAGPUR-440 025

No.

Date 4th April 1945

To

All C.E.C. Members

Dear brother,

I am looking forward to meet all of you at our C.E.C. meeting at Bangalore. I would appreciate very much if you could bring particulars regarding number of lady members at your centre as also their names and addresses etc. as my information and record. Please also let me know if they have any problems which we, as Organisation, can solve for them.

2. I have received a letter from our Kanpur Unit (Copy enclosed) regarding Maternity leave & concessions thereafter. I would like to have your views in the C.E.C.

3. Recently there there was a L.F.C. case in Bombay where both husband and wife are working in the Bank. They are having strained relations. As per our L.F.C. Rules, only husband claim the fares. The Lady member was denied the L.F.C. for her children just because her husband happened to be in the Bank he had to represent & finally she was allowed to claim L.F.C. for her children. We have started a signature campaign asking the Bank to amend the L.F.C. Rules suitably. I would like

To have your views in this matter.
Give my regards to all Unit members.
Thanking you,


Yours sincerely

N.M. Deo

(Smt. N. M. Deo)

In charge, Ladies wing.

(सम्बद्ध-एन. ओ. बी. डब्लू. एवं भारतीय मजदूर संघ)



३७/१६, सी० माल रोड
(रिजर्व बैंक के सामने)
कानपुर

पत्रांक
दिनांक 14.3.75

आइएपीआ के व बहन जी

जयश्रीएन।

आशा है कि आप सपरिवार कुशल हो होंगी। कानपुर की एक बहन ने लिखा है कि रिजर्व बैंक से मातृत्व अवकाश (Maternity leave) मात्र 1 वर्ष का मिलता है। अन्यथा ही के उपरान्त महिला कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाता है। कानपुर की कुछ बहनों की समस्या (Flooding baby) को ध्यान में रखते हुए Maternity leave के बाद

आपको भी एक माह तक अर्धकालीन (part-time) काम duty मिलनी चाहिए। उदाहरणार्थ प्रथम सप्ताह No work, द्वितीय सप्ताह $\frac{1}{2}$ दिन का, तृतीय सप्ताह 2 बच्चे जल्दी-पुष्टी तथा चतुर्थ सप्ताह 1 बच्चे जल्दी पुष्टी जारी रखी जा सकती है।

आप इस समस्या को समाप्त कर एक मासिक अंश में तब तक AIRBwg CEC से प्राप्त करेंगे। आपका नाम बैंक प्रशासन को लिखें।
सम्मान सहित।

आपका भाई,
कुलुदेव शर्मा
महाशय